न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 16 / प्रा.पत्र / 2024	30.01.2024	25.03.2025
(GCMS No. 2024 / 22)		

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

मृतक नाथू आ. गोरू जाति रैगर निवासी गेण्डोलीखुर्द की झोपड़ियां तहसील रायथल (जरिये कायम मुकामान) –

1. सत्यनारायण आ. नाथू जाति रैगर निवासी गेण्डोलीखुर्द तह. रायथल
2. पुष्पाबाई पत्नी नाथू जाति रैगर निवासी गेण्डोलीखुर्द तह. रायथल
3. रामभजन आ. नाथू जाति रैगर निवासी थाने के पीछे, तालेडा
4. रामकिशन आ. नाथू जाति रैगर निवासी थाने के पीछे, तालेडा,
5. फूलचन्द आ. नाथू जाति रैगर निवासी थाने के पीछे, तालेडा,
6. रामदेव आ. नाथू जाति रैगर निवासी थाने के पीछे, तालेडा
   (**मृतक**)जर्ये कायम मुकाम –

6/1 सुरेश आ. स्व. रामदेव जाति रैगर निवासी थाने के पीछे, तालेडा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी नाथू आ. गोरू रेगर को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 365,366,368,373 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडियां (हाल तहसील रायथल) आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु आवंटन नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 16/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/22 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13.01.25 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, नकल खसरा गिरदावरी के अनुसार उक्त आवंटित भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आवंटन के 45 वर्ष पश्चात पेश किया गया है, जिसके साथ अवधि को कन्डोन करने बाबत अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रथमदृष्टया ही अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आवंटी ने आवंटन के पश्चात कृषि कार्य नहीं किया हो और न ही आंवटी का कब्जा रहा हो। आवंटनशुदा भूमि पर आवंटी नाथू व उसके बाद उसके वारिसान का अनवरत रूप से आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटी तथा उसके बाद उसके वारिसान द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की गई है। ऐसे में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के तहत आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटित भूमि पर आवंटी/उसके वारिसान खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त कार्यवाही असत्य तथ्यों के आधार पर पेश की है जो अनुसूचित जाति के गरीब लाचार कमजोर व्यक्ति के लिए हितों एवं संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरूद्ध है। यदि उक्त आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण के गरीब परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर आवंटन बहाल रखे जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बूंदी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि नाथू आ. गोरू जाति रेगर निवासी गेण्डोलीखुर्द को दिनांक 10.11.1975 को भूमि ख.सं. 915/1 रकबा 7 बीघा 07 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द का आवंटन किया गया था। आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत यहां पेश किया गया है। ग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौ0 की नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार भूमि खसरा सं. 365, 366, 368, 373 रकबा 1.19 हैक्टेयर पर नाथू पि0 गोरू रेगर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार मौके पर उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2076 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर ''पड़त'' पडी हुई है। जिससे गैर खातेदार का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होना प्रमाणित है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नाथू आ. गोरू जाति रेगर निवासी गेण्डोलीखुर्द को किया गया भूमि आवंटन हाल ख.सं. 365, 366, 368, 373 रकबा 1.19 हैक्टेयर वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौ0 दिनांक 10.11.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार **रायथल** को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी